



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276571
CG-DL-E-28092026-276571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5123]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5123]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

सं. 127/ 2026/ सीबीडीटी

का.आ. 5330(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(b) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर (पैन: AAATI0517J) को उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(a)(i) और आयकर नियम, 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर (पैन: AAATI0517J) के लिए लागू होगी, बशर्ते कि

(क) भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा उन प्रत्येक कर वर्ष के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एसआईआरओ) के रूप में अनुमोदित किया जाना जारी रखा जाता है, जिसके लिए यह अधिसूचना प्रभावी है।

(ख) यह -

- (i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता रहेगा;
- (ii) प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(a) के तहत प्रपत्र संख्या 15 में विवरण तैयार करेगा और इसे आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा;
- (iii) आयकर नियमावली, 2026 के नियम 31 के अनुसार, प्रपत्र संख्या 16 में दान की राशि का उल्लेख करते हुए दानकर्ता को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2030-2031 तक के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 203/35/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव